न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 48 / 2014 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. बबलू पुत्र सीयाराम जाति मीना निवासी ग्राम कांसपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
2. काबेरी पुत्री सीयाराम पत्नी दर्शनलाल जाति मीना निवासी कांसपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
3. साबूती पुत्री मनीराम पत्नी राजवीर जाति मीना निवासी मठाखो तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामजीत आयु 53 वर्ष } पुत्रगण विशनलाल जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर मीना तहसील बाडी।
2. सुजान सिंह आयु 45 वर्ष }
3. हीरालाल आयु 45 वर्ष पुत्र तेज सिंह जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर मीना तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी बाडी दि0 15.07.2014 प्र.सं. 81/14 उनवानी रामजीत बनाम बबलू।

उपस्थितिः–

1. श्री श्रीगोपाल शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री विनोद कुमार भार्गव अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक–21.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण की ओर से एक दावा वास्ते इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी स्थित ग्राम पगुली तहसील बाडी जिला धौलपुर में रैस्पो0/वादी संख्या 01 व 02 हिस्सा 1/3 भाग एवं रैस्पो0/वादी संख्या 03 व उसकी मॉ कंचनबाई 1/3 हिस्सा व रैस्पो0/वादीगण का चाचा किशनलाल पुत्र कल्लू 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। किशनलाल की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी हो गई। उसने अपने जीवनकाल में दिनांक 06.06.2014 को विवादित आराजी के अपने हिस्से 1/3 की खातेदारी की रैस्पो0/वादीगण को वसीयत कर दी। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी में कोई हित अधिकार नहीं है ना ही कब्जा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। किन्तु दिनांक 30.06.2014 को अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी के किशनलाल के हिस्से को अपने नाम कराने की धमकी दी। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। दौराने वाद पक्षकारान में दिनांक 15.07.2014 को राजीनामा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनाम विधि अनुकूल नहीं माना जाकर दावा रैस्पो0/वादी डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्र पारित करते हुये इस तथ्य की ओर अपने न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया कि स्वत्व घोषणा के बाद में भू–स्वामी आवश्यक पक्षकार होता है, उसे पक्षकार प्रकरण बनाये बिना, वाद पोषणीय नहीं होता, प्रस्तुत वाद में रैस्पो0/वादीगण द्वारा भू स्वामी तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2014 को राजीनामा प्रस्तुत हुआ जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने तस्दीक किया और राजीनामा के अनुसार वाद को फैसल किया। इस प्रकार का पृष्ठांकन राजीनामा के ऊपर अंकित है, इस राजीनामें में अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 को विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 270, 370, 401 प्राप्त हुये थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने इस आदेश से बाहर जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये हैं, जो अवैध हैं और निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत दिनांक 06.06.2014 को बिना प्रमाणित साक्षी के साक्ष्य में प्रमाणित कराये हुए स्वीकार करके कानूनी भूल की है। ऐसी वसीयत के आधार पर वाद को डिक्री किया जाना अवैधानिक है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1997 पेज 511, 1992 पेज 518, 1984 पेज 391, 1993 पेज 821 ए0आई0आर0 1986 (कर्नाटक) हाई कोर्ट पेज 01, इण्डियन सैक्शन एक्ट 1925 पेज 62, इण्डियन ऐविडेन्स एक्ट पेज सेक्शन 68 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2014 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 का विवादित आराजी में किसी प्रकार कोई हित व अधिकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा है। पक्षकार मुकदमा मीना जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए अपीलाण्ट मृत किशनलाल पुत्र कल्लू के वारिस नहीं हो सकते और ना ही उन्हें विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। विवादित आराजी रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है एवं वक्त वसीयत से रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपने तर्को के समर्थन में आर0बी0जे0 2014 (एस0सी0) पेज 472, 2014(एच0सी0) पेज 261, 2011(एच0सी0) पेज 352, डी0एन0जे0(1) 2016(एस0सी0) पेज 201, 2016(4)(एच0सी0) पेज 1729, ऐविडेन्स एक्ट सैक्शन 58, आर0एल0आर0 1996(2) पेज 323, 1995(1) पेज 413 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा वसीयत को चुनौती नहीं दी गई है केवल कथित राजीनामा बाबत् आपत्ति की गई है। परन्तु उक्त राजीनामा दिनांक 15.07.2014 में स्वयं अपीलाण्ट द्वारा, राजीनामा की मद संख्या 04 में किशनलाल पुत्र कल्लू उर्फ लल्लू द्वारा दिनांक 06.06.2014 को रैस्पो0/वादीगण के हक में निष्पादित किये गये वसीयतनामे को पूर्णतः सही व वैध होने की मान्यता दी है। अतः उक्त वसीयत के रहते अपीलाण्ट को विवादित आराजी में कोई अधिकार सृजित नहीं हो सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही राजीनामा विधि अनुकूल नहीं मानकर, दावा रैस्पो0/वादीगण डिक्री किया है। इसके अतिरिक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई है एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 में अपील पेश होने में देरी बाबत् उचित कारण भी अंकित नहीं किये गये हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2014 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर